

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  
नियम, 1972  
(नियम 34(3) देखें)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY  
RULES, 1972  
(See Rule 34(3))

**संसाधन संयंत्र का पंजीकरण - प्रमाण-पत्र**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PROCESSING PLANTS**

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या व तारीख  
Number and date of the Certificate  
of Registration MA1/PP/054/21  
19/03/2021
  2. जिस व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है  
उसका नाम  
Name of the person to whom the  
Certificate of registration is  
issued RIZWAN ICE & COLD STORAGE  
D-366, TTC IND. AREA,  
KUKSHET, MIDC, TURBHE  
NAVI MUMBAI/400706 MAHARASHTRA  
RIZWAN ICE & COLD STORAGE UNIT-II  
M-17, TALOJA M.I.D.C.,  
VILLAGE : PALEKHURD  
TALUKA : PANVEL/410208 Maharashtra
  3. संसाधन - संयंत्र का स्थान  
Location of the processing plant TALUKA : PANVEL/410208 Maharashtra
  4. संसाधन - संयंत्र का विवरण  
Details of the processing plant . L:31.8m, B:21.2m, H:7m, Capacity:111MT;
  5. जिन समुद्री उत्पादों का संसाधन किया जाना है उनके नाम  
Names of the marine products  
authorised to be processed IQF:10MT,TPF 90:26MT,Blast Freezer:75.2MT,  
Frozen,Chilled,
- स्थान : MUMBAI  
तारीख : 19/03/2021  
Date :  
Validity Upto : 18/03/2023



प्रमाण-पत्र देनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of the officer  
issuing the certificate  
RAZAK ALI  
DEPUTY DIRECTOR

(प्राधिकरण की मोहर)  
(Seal of the Authority)

**पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तें**  
**CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION**

1. यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र 1972 के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जाता है।  
This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.
2. नक्शा, डिजाइन, क्षमता या अन्य मामलों में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसके लिए प्राधिकरण की मंजूरी लेना आवश्यक है।  
Any change in the lay-out, design or capacity or other matters should be got approved by the Authority.
3. स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले नियमों के अनुसार होनी चाहिए।  
The sanitary and hygienic requirements should conform to the regulations issued in this behalf by the Export Inspection Agency and the Authority from time to time.
4. मालिक को समुद्री उत्पादों के परिरक्षण, संसाधन व भण्डारण के लिए केवल अनुमोदित रसायनों का ही उपयोग करना होगा।  
The owner should use only approved chemicals for preservation, processing and storage of marine products.
5. मालिक को समय समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जानेवाले ऐसे अन्य अनुदेशों का भी पालन करना होगा।  
The owner shall also comply with such other instructions as may, from time to time, be issued by the Authority.